

सरकार द्वारा शपिगि संबंधी चुनौतियों को हल करने हेतु प्रस्तावित उपाय

स्रोत: पीआईबी

केंद्रीय वाणजिय एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अंतर-मंत्रालयी बैठक में बढ़ती वस्तु परिवहन लागत, कंटेनर की कमी और बंदरगाहों पर भीड़भाड़ से संबंधित चिंताओं पर विचार किया गया।

- **बैठक के मुख्य नरिणय:** जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) में खाली कंटेनरों को 90 दिनों तक मुफ्त भंडारण की अनुमति देने जैसे उपायों के साथ शपिगि लागत में कमी करना।
 - नवी मुंबई में स्थित JNPA एक प्रमुख कंटेनर बंदरगाह है, जो भारत के लगभग 50% कंटेनर कार्गो को प्रबंधित करता है। यह विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर बंदरगाहों में 26 वें स्थान पर है और 200 से अधिक वैश्विक बंदरगाहों से जुड़ा है।
- नवरत्न कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) ने लोडिंग, हैंडलिंग और भंडारण शुल्क में कटौती की है।
- शपिगि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ने कंटेनर क्षमता को 9,000 ट्वेंटी-फीट एक्जुवेलेट इकाइयों (TEU) तक बढ़ाने के लिये जहाजों को करिए पर लेने की घोषणा की, साथ ही पाँच और कंटेनर जहाजों को हासिल करने की योजना बनाई।
- **केंद्रीय अपरत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** द्वारा बंदरगाहों पर दो 20 फीट कंटेनरों की एक साथ स्क्रीनिंग के माध्यम से तीव्र कस्टम क्लीयरेंस की दशा में कदम उठाया गया।
- अवैध मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने और नकद लेन-देन को रोकने के लिये नज्जी कंटेनर यार्डों को अब GST अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा।
- मालवाहक संघों और नरियातकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के उपायों से **रसद संबंधी बाधाएँ दूर होने के साथ व्यापार प्रवाह बढ़ेगा।**

और पढ़ें: [कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स \(CPPI\) 2023](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/government-announces-measures-to-resolve-shipping-woes)